# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 62/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00221

## उनवान

1. विजय कुमार पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र श्री जंगजीत जाति ठाकुर निवासी गडरपुरा मौहल्ला धौलपुर।

.....वादी/उत्तरार्थी

2. भगवती प्रसाद पुत्र श्री देवकीनन्दन जाति त्यागी निवासी ग्राम बहवलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. नारायण सिंह } पुत्रगण स्व0 श्री बंगाली प्रसाद जाति त्यागी निवासी बहवलपुर तहसील व
4. निरोती } जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....प्रतिवादी/उत्तरार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दि0 19.06.2018 मि.नं. 12/2011 उनवानी विजय सिंह बनाम भगवती प्रसाद।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री मलखान सिंह एवं हरवीर सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक–21.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर वादी असल रैस्पो0 व प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवरी रैस्पो0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार हैं। परन्तु विवादित आराजी का

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुताफरेक

अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण पक्षकारान में आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी /अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। खसरा नम्बर 222 के साईड में अपीलाण्ट का एक खसरा नम्बर 222/464 रकवा 01 विस्वा का है। परन्तु अपीलाण्ट को उक्त भूमि की साईड में भूमि ना दी जाकर बीच में दी गयी है। जिससे अपीलाण्ट की भूमि पृथक–पृथक हो गयी। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20(बी) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ (COMPACT) होगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी बाबत् विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भी कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं ना ही अपीलाण्ट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के पास ही निवास करता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय जानबूझकर मौके पर नहीं आये। विभाजन प्रस्तावा तहसीलदार की उपस्थिति में विधि अनुरूप एवं नियम 18 से 21 की पालना करते हुये ही तैयार किये गये हैं। रैस्पो0 की भूमि विभाजन प्रस्ताव में प्राप्त हिस्से से मिलती हुयी है। सभी पक्षकारान को सडक पर हिस्सा दिया गया है। अपीलाण्ट जो अपना 01 विस्वा का खसरा नम्बर 222/464 बताते हैं वह मौके पर भौतिक रूप से नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 का यह तर्क कि अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 222/464 मौके पर नहीं है। सडक में चला

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुतफरिक

गया। बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। रकवा मौके पर मौजूद है एवं अपीलाण्ट का उस पर कब्जा है। यदि सडक में जाता तो अपीलाण्ट को मुआवजा क्यों नहीं मिला। इस प्रकार विभाजन गलत हुआ है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा हमराह पटवारी हल्का एवं गिरदावर के तैयार किये गये हैं एवं विभाजन प्रस्तावो में सभी पक्षकारो को सडक पर भूमि दी गयी है। लिहाजा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन के नियम 18–21 की पूर्ण पालना की गयी है। अपीलाण्ट स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं हुये हैं। जैसा कि विभाजन प्रस्तावो में अंकित है। उक्त तथ्य को तब तक सत्य माना जावेगा जब तक वह इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर देते। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में आपत्ति है कि खसरा नम्बर 222 के साईड में अपीलाण्ट का एक खसरा नम्बर 222/464 रकवा 01 विस्वा का है। परन्तु अपीलाण्ट को उक्त भूमि की साईड में भूमि ना दी जाकर बीच में दी गयी है। जिससे अपीलाण्ट की भूमि पृथक–पृथक हो गयी। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त तथ्य को अपने दावे में उल्लेखित नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी की गयी है। परन्तु उक्त आपत्ति में भी उक्त तथ्य को नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर अपीलाण्ट की आपत्ति खारिज की है। वर्तमान में हस्तगत अपील के माध्यम से विभाजन प्रस्तावो पर पुनः नयी आपत्ति प्रस्तुत करना तर्कसंगत नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यापित